# –: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 14/2025

**उनवान**

सौरभ कन्नोजिया पुत्र राजू जाति धोबी निवासी म. नं. 847, वार्ड नं. 1 राजनारायण रोड नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 23/9/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 4958/1862 रकबा 0.66 व 4957/1862 रकबा 0.66 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 5338/4796 का उपयोग करते है। खसरा नम्बर 5337/4796 मौके पर रास्ता है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 4958/1862 रकबा 0.66 व 4957/1862 रकबा 0.66 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 5338/4796 का उपयोग करते है। खसरा नम्क्बर 5337/4796 रकबा 0.1260 राजस्व अभिलेख में रास्ता है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अन्य कोई आपत्ति अंकित नही की है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये [illegible] तहसीलदार नसीराबाद द्वारा की गयी है। राजस्व मानचित्र अनुसार भी प्रार्थी [illegible] पास [illegible] कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रकरण में कोई खण्डन [illegible] किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की [illegible] आवश्यकता भी सिद्ध होती है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट मार्ग चाहा गया है किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट रास्ता पर्याप्त है। अतः प्रार्थी 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी [illegible]

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा 5338/4796 में से 250 वर्ग मीटर (4.57 मीटर चौडा व 54.70 मीटर लम्बा) रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:42:18 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी

दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 39450/अक्षरे एक उन्चालीस हजार चार सौ पचास रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
**नसीराबाद**

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:42:18 IST
Reason: SelfAttested